

मुकदमा संख्या 35/19 विविध

ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, गजनेर रोड, शाखा बीकानेर ।

—प्रार्थी

: ब ना म :

1. मनीषा एन्टरप्राइजेज जरिये प्रो. मनीषा कंवर पत्नी महेश सिंह भाटी निवासी 11/420, मुक्ताप्रसाद नगर, बीकानेर
2. श्रीमती मनीषा कंवर पत्नी महेश सिंह भाटी निवासी 11/420, मुक्ताप्रसाद नगर, बीकानेर
3. श्री महेश सिंह भाटी पुत्र श्री देवीसिंह भाटी निवासी 11/420, मुक्ताप्रसाद नगर, बीकानेर

—अप्रार्थी

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—14 सिव्योरिटार्डिजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफॉर्समेंट ऑफ सिव्योरिटि इन्टरस्ट एक्ट, 2002

उपस्थिति:—

1. प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र रंगा।
2. अप्रार्थीगण की ओर से श्री सुरेश बालेचा।



: आ दे श :

दिनांक 03.09.2019

1. प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र एवं उनके अधिवक्ता के कथनानुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी/ऋणी को ऋण सुविधा के तौर पर दिनांक 18.06.15, 26.08.15, 23.01.17 को रूपये 45,00,000/- की राशि उपलब्ध करवाई थी एवं उक्त ऋण की एवज में अप्रार्थी/ऋणी द्वारा मकान सं. 11/420, मुक्ताप्रसाद नगर, बीकानेर को प्रार्थी बैंक के हक में उक्त ऋण के पेटे साम्यिक बंधक रखा गया था। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी/बैंक के साथ हुए अनुबंध के नियमानुसार ऋण राशि नहीं चुकाये जाने पर अप्रार्थी/ऋणी के खाते को दिनांक 01.11.2018 को एन.पी.ए. धोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी के खाते में रूपये 48,55,452.04 दिनांक 30.11.18 तक ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे बैंक के विरुद्ध बकाया निकलते हैं। अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाते को एन.पी.ए. धोषित हो जाने पर अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी/ऋणी/जमानती को दिनांक 01.12.18 को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये। परन्तु इसके पश्चात् माननीय न्यायालय में दायर इस प्रार्थना—पत्र की दिनांक तक अप्रार्थी/ऋणी द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवाई व ना ही बंधक शुदा सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र में निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी/ऋणी/जमानती द्वारा प्रार्थी बैंक के हक में बंधक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थी बैंक को दिलाया जावे। प्रार्थी बैंक द्वारा इस प्रार्थना—पत्र के समर्थन में अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत शपथ—पत्र भी प्रस्तुत किया है।

2. प्रार्थी बैंक के इस प्रार्थना-पत्र पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जा कर प्राकृतिक न्याय के सान्य सिद्धान्तों की पालना में अप्रार्थीपक्ष को तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।
3. प्रार्थी/ बैंक के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण/ऋणी को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी। ऋण सुविधा प्राप्त करने के बाद अप्रार्थीगण/ऋणी बकाया राशि चुकाने में विफल रहे है। इस पर अप्रार्थीगण/ऋणी को धारा 13(2) का नोटिस दिये जाने के बावजूद भी बकाया राशि प्रार्थी बैंक के यहां जमा नहीं करवाई गई है। अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।
4. अप्रार्थी ने लिखित बहस में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि बैंक ने अप्रार्थी को दिनांक 18.06.18 को 5,00,000रूपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गयी थी। बैंक ने मात्र 2 माह में 35 लाख ओडी ऋण की सुविधा बिना सोचे समझे मात्र दो महीने में सात गुना बढ़ा दी। बैंक को धारा 11 के तहत पंचाट जारी करवाना चाहिए था। धारा 13(2) के अनुसार किश्तों में चूक होने पर सरफेसी की कार्यवाही अमल में लाई जाती है जबकि ओडी ऋण के तहत दिये गये ऋण के प्रति सरफेसी की कार्यवाही नहीं की जा सकती। अप्रार्थी बैंक को भुगतान कर रहा है। दिनांक 16.03.19 को भी 80,000 रूपये का डीडी स्वीकार किया है। श्रीमान जी द्वारा इसी प्रकार के अन्य मु.सं. 62/18 बैंक ऑफ बड़ौदा बनाम भंगवती देवी में धारा 11 की कार्यवाही नहीं होने पर बैंक का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। अतः बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गलत आधारों पर होने के कारण खारिज किया जावे।
5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के यहां से ऋण के रूप में उपर्युक्त ऋण सुविधा प्राप्त की थी। प्राप्त ऋण सुविधा की एवज में अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा पैरा संख्या 1 में उल्लेखित सम्पति साम्यिक बंधक रखी गई थी। अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के समर्थन में कोई प्रमाणित साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किया है। इस न्यायालय द्वारा मु.सं. 62/18 में पारित निर्णय से हस्तगत प्रकरण में भिन्नता है। अप्रार्थी/ऋणी द्वारा बकाया सम्पूर्ण राशि जमा नहीं करवाई गई है। बकाया राशि जमा करवाये जाने के संबंध में प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण/ऋणी को नोटिस जारी किये गये। इसके पश्चात् भी अप्रार्थीगण ऋण राशि को अनुबंध के अनुसार वापिस जमा करवाने में विफल रहे है। ऐसी स्थिति में उक्त ऋण की एवज में पैरा नम्बर 1 में वर्णित सम्पति प्रार्थी बैंक के यहां बंधक है को प्रार्थी बैंक अपने कब्जे में लेने की अधिकारणी है। इस परिपेक्ष्य में प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।
6. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थीगण/ऋणी, प्रार्थी/ बैंक के साथ हुए अनुबंध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहे हैं। अतः प्रार्थी/ बैंक के प्रार्थना-पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ-पत्र पर विश्वास करते हुए अप्रार्थीगण/ऋणी व्यतिक्रमी मानते हुए प्रार्थी/बैंक का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है तथा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पैरा संख्या 1 में वर्णित बंधक रखी गई सम्पति का पजेशन प्रार्थी/बैंक को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी/बैंक के खर्च पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावे। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पति किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। इस आदेश की सूचना प्रार्थी /बैंक अप्रार्थीगण को देवे।

7. आदेश आज दिनांक 03.09.2019 को हमारे द्वारा लिखवाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया



(कुमार पाल गौतम)
जिला मजिस्ट्रेट एवं
जिला कलक्टर, बीकानेर